एम.ए.सी.पी. संख्या ४५७/२०१८,
१. सन्तोष वंशकार उम्र लगभग ५३ साल पुत्र स्व. सुलू
निवासी ग्राम मगरपुर थाना सकरार तहसील मऊरानीपुर जिला झाँसी

-----याची।

प्रति

१. धर्मेन्द्र तनय सुल्ले निवासी केयर आफ ठाकुरदास मकान नं. ३ भरारी तहसील व जिला झाँसी
.........वाहन स्वामी व चालक आपे नं. यू.पी.९३ बी टी ०४७३
२. दि न्यू इण्डिया इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कार्यलय कचहरी चौराहा, झाँसी जरिए मण्डल प्रबन्धक
..........बीमाकर्ता आपे नं. यू.पी.९३ बी टी ०४७३ (दि.११.०८.२०१८ से १०.०८.२०१९ तक पॉलिसी नं. ४२१५०००३३११८०१०००० १६४७)

-----विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री नरेश कुमार गुप्ता
विपक्षी सं.२ के अधिवक्ता- श्री सुनील कुमार शुक्ला

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। यह दावा सन्तोष वंशकार को मोटर वाहन दुर्घटना मे हुई उपहति पर ₹ ३५,००० क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत हुआ है। याची व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. २ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं। उभय पक्ष की ओर से सुलहनामा २०बी प्रस्तुत किया गया, जो उभय पक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

याची व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा २१बी पर याचीगण व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। २०बी सुलहनामा आज उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २०बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा २०बी में दर्शित कुल ₹ २०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी याची को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २०बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा २०बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २०बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. २ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ **२०,००० (बीस हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के Punjab National Bank A/c 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। याची उक्त प्रतिकर की धनराशि जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगा।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 16:16:59 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi